पत्र सं0 बी-1-एलाटमेंट -3/मानदेय/ **2023-2024** / 730 /राज्य कर

कार्यालय अयुक्त राज्य कर,उत्तर प्रदेश

(बजट अनुभाग)

दिनॉक :: लखनऊ :: 27.02, **2024**

समस्त अपर आयुक्त, जोन

राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले राज्य कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने हेतु **मानक मद संख्या-07-मानदेय** की मद में धनराशि का आवंटन प्रत्येक जोन के आहरण एवं वितरण अधिकारी को अलग से किया जा रहा है, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठॉकित की जा रही है । कृपया इस धनराशि का वितरण अपने-अपने जोन के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की जनशक्ति के अनुपात में शासनादेश संख्या-जी-1-746/दस-96-241/96 दिनॉक 27/02/1997 में निर्धारित नियमों/प्रतिबन्धों के अधीन कर्मचारियों को तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें । मानदेय धनराशि का वितरण करते समय निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें :-

1. कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में से यथासम्भव केवल 20 प्रतिशत को ही मानदेय स्वीकृत किया जाये ।
2. वाहन चालकों को शासनादेश के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का वेतन मानदेय के रूप में दिया जाता है, अत: इन्हें कोई मानदेय स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. मानदेय की मद में प्रत्येक कर्मचारियों को **अधिकतम रुपया 375/-** ही स्वीकृत किया जाये ।
4. मानदेय देते समय कर निर्धारण, वि0अनु0शा0, चेक पोस्ट,अपील, राज्य प्रतिनिधि एवं समस्त अन्य वाणिज्य कर कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में ही यथासम्भव मानदेय दिया जाये ताकि कार्यालयों के अच्छे कर्मचारी चिन्हित हो सकें ।
5. सर्वोच्च न्यायालय कार्य / उच्च न्यायालय कार्य, कार्पोरेट सेल में कार्यरत उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो (वाहन चालक एवं पुलिस कर्मियों को छोड़कर) हेतु अलग से धनराशि नियत कर सम्बन्धित जोन के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जा रही है । इस धनराशि से मात्र इन कार्यालयों के अर्ह कर्मचारियों को ही मानदेय स्वीकृत किया जाय ।
6. मानदेय केवल उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को ही स्वीकृत किया जाय । **अधिकतम कर्मचारियों को देने की मनोवृत्ति के स्थान पर यह प्रयास किया जाय कि यथासम्भव ऐसे ही कर्मचारी लिये जायें जिन्होंने वास्तव में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य किया हो । इससे जहॉ एक ओर उन्हें अधिकतम अनुमन्यता रुपया 375=00 के करीब धनराशि प्राप्त हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर वास्तव में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारी चिन्हित हो सकेगें और उन्हें वास्तविक प्रोत्साहन मिल सकेगा ।** कुछ स्थानों पर यह परिपाटी पायी गयी है कि जिन्हें गत वर्ष में मानदेय दिया गया हो उन्हें छोड़कर शेष को इस वर्ष मानदेय दे दिया जाये, यह एक स्वस्थ

परिपाटी नहीं कही जा सकती और मानदेय देने का उदेश्य ही इससे समाप्त हो जाता है। आशय यह है कि जिस कर्मचारी के द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में वास्तव में सत्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट कार्य किया गया हो उसे ही मानदेय दिया जाय।

7. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत धनराशि में अन्तर रखा जाय।

8. यदि ऐसे कर्मचारी को मानदेय स्वीकृत किया जाता है जिसके विरुद्ध कोई अनियमितता/कार्यवाही किया जाना पाया जायेगा तो इसके लिए सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर जोन को सीधे उत्तरदायी माना जायेगा।

23/2/24

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठाँकन पत्र संख्या एवं दिनाँक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से भी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
3- अपर आयुक्त (विधि/प्रशिक्षण केन्द्र), राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर आयुक्त ग्रेड-1(उ0न्या0का0), राज्य कर, प्रयागराज।
5- अपर आयुक्त ग्रेड-2(उ0न्या0का0), राज्य कर, लखनऊ।
6- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर, , मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7- संयुक्त आयुक्त(सर्वोच्च न्या0का0), राज्य कर, गाजियाबाद।
8- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्पोरेट सेल), राज्य कर मुख्यालय / लखनऊ प्रथम/ लखनऊ द्वितीय/ कानपुर प्रथम / कानपुर द्वितीय/ नोएडा / ग्रेटर नोएडा / गाजियाबाद।
9- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम/द्वितीय राज्य कर मुख्यालय।
10- आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य कर जनपद **गाजियाबाद, नोएडा, झांसी, गोरखपुर, इटावा, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज,कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर एवं मुख्यालय।**
11- बी-1-5-बजट पटल को 05 अतिरिक्त प्रतियाँ।

(महा मिलिन्द लाल)
अपर आयुक्त(लेखा),राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।